रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्र 7, 1930

No. 305] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRA 7, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

सं. 38/37/08-पी. एंड पी. डब्ल्यू. (ए.).— वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5.10.2006 के संकल्प संख्या-5/2/2006-ई.III(क) में विहित किए अनुसार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ "ऐसे सिद्धांतों की जांच-पड़ताल किया जाना भी शामिल है जिनके दायरे में पेंशन ढांचा, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, कुटुम्ब पेंशन और अन्य सीमांत अथवा आवर्ती लाभ आने चाहिए तथा जो एक जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त, केन्द्रीय सरकार के मौजूदा और पूर्व-कर्मचारियों से सम्बद्ध वित्तीय भार से जुड़े हैं।" आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 24 मार्च, 2008 को प्रस्तुत कर दी । सरकार ने, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट के अध्याय 4, 5 और 6 में विहित, आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि ये सिफारिशें कतिपय आशोधनों के अध्यधीन, व्यापक रूप से स्वीकार की जाएंगी ।

2. संशोधित पेंशन ढांचा 01 जनवरी, 2006 से लागू होगा । पेंशन की बकाया राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2008-09 में और शेष 60 प्रतिशत हिस्सा 2009-10 में नकद रूप में दिया जाएगा ।

3. आयोग की विस्तृत सिफारिशें और इस बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, इस संकल्प के साथ संलग्न विवरण में सूचीबद्ध हैं । आयोग द्वारा की गई वे सिफारिशें जिन्हें अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है, की सरकार द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और उनपर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा ।

4. भारत सरकार, आयोग द्वारा इस कार्य से जुड़े विभिन्न पेचीदा मुद्दों पर काम करते हुए इसके द्वारा किए गए कार्य और मूल्यवान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग की अत्यधिक सराहना करती है ।

रजनी राजदान, सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

अनुबंध

ऐसे सिद्धांत जिनके दायरे में रिपोर्ट के अध्याय 4, 5 और 6 में विहित पेंशन ढांचे और अन्य सीमांत लाभ आते हैं, के सम्बन्ध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उनके सम्बन्ध में सरकार के निर्णय दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	अधिक वृद्ध पेंशनभोगी, अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आयु के साथ उनकी आवश्यकताएं विशेषत: स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं । वृद्ध पेंशनभोगियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि को निम्नानुसार बढ़ा दिया जाना चाहिए: निम्नलिखित आयु प्राप्त करने पर — पेंशन की अतिरिक्त राशि 80 वर्ष - मूल पेंशन का 20% 85 वर्ष - मूल पेंशन का 30% 90 वर्ष - मूल पेंशन का 40% 95 वर्ष - मूल पेंशन का 50% 100 वर्ष - मूल पेंशन का 100% (5.1.32)	स्वीकार कर ली गई ।
2.	33 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ, पूरी पेंशन को जोड़े जाने को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की पेंशन योग्य न्यूनतम सेवा पूरी करने पर पिछले 10 माह की प्राप्त औसत परिलब्धियों अथवा अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की दर, इनमें से जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अधिक लाभकारी हो, के अनुसार पेंशन दी जाए । इसके साथ-साथ पेंशन/सम्बद्ध प्रसुविधाओं की गणना करने की आशय से, अर्हक सेवा के वर्षों को जोड़ने की मौजूदा प्रसुविधाओं का समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अब संगत नहीं रहेगा । (5.1.33)	स्वीकार कर ली गई ।
3.	अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूरे करने पर पूरी पेंशन की अदायगी सम्बन्धी सिफारिश, केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से, रक्षा बलों के पीबीओआर को छोड़कर केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों	स्वीकार कर ली गई ।

	पर उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख से यह सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है । (6.5.3)	
4.	पेंशन के संराशीकरण के सभी भावी मामलों पर, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न, संशोधित संराशीकरण सारणी के अनुसार विचार किया जाना चाहिए तथा इसे भी, ब्याज-दरों और मृत्यु-दर सारणी के मद्देनजर सरकार द्वारा आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए । (5.1.35)	स्वीकार कर ली गई ।
5.	संशोधित संराशीकरण सारणी का प्रयोग केवल भविष्य में किए जाने वाले संराशीकरण के लिए किया जाएगा और यह 31.12.2005 के पश्चात् के पेंशनभोगियों, जिन्होंने पहले ही अपनी पेंशन का संराशीकरण करा लिया है, के पिछले संराशीकरण करने के लिए लागू नहीं होगी । संशोधित संराशीकरण सारणी का प्रयोग केवल पेंशन की उस राशि का आकलन करने के लिए किया जाएगा जो संशोधित वेतनमानों के भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वयन के कारण, अतिरिक्त रूप से संराशीकरण योग्य हो गई है, यदि इस तरह का विकल्प सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा दिया जाता है । सभी भावी पेंशनभोगियों के लिए संशोधित संराशीकरण सारणी के अनुसार पेंशन के संराशीकरण का आकलन और इसकी अदायगी की जाएगी । (6.5.3)	स्वीकार कर ली गई ।
6.	उपदान के भुगतान की 3.5 लाख की अधिकतम धन सम्बन्धी सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाए । (5.1.37)	स्वीकार कर ली गई ।
7.	सेवा के दौरान दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों के मामले में, कुटुम्ब पेंशन बढ़ी हुई दरों पर 10 वर्ष की अवधि के लिए दी जाए ।(5.1.42)	स्वीकार कर ली गई ।
8.	सभी प्रकार के उद्देश्य के लिए निर्भरता मानदण्ड, न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन और इस पर मिलने वाली महंगाई राहत होगी । इसका, कुटुम्ब पेंशन के भुगतान से सम्बन्धित मामलों में भी अनुपालन किया जाना चाहिए । (5.1.42)	स्वीकार कर ली गई ।

Published on National Portal of India \| http://india.gov.in/govt/paycommission.php

9.	अधिक वृद्ध पेंशनभोगियों को पेंशन की उच्चतर राशि दिए जाने की सिफारिशों के अनुसार उतने ही वृद्ध कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय कुटुम्ब पेंशन की राशि भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी । कुटुम्ब पेंशनभोगियों को उपलब्ध पेंशन की राशि भी, पेंशनभोगियों के लिए संस्तुत की गई पेंशन राशि के समान निम्नानुसार बढ़ाई जाएगी :- **आयु प्राप्त करने पर** — **कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त राशि** 80 वर्ष — मूल कुटुम्ब पेंशन का 20% 85 वर्ष — मूल कुटुम्ब पेंशन का 30% 90 वर्ष — मूल कुटुम्ब पेंशन का 40% 95 वर्ष — मूल कुटुम्ब पेंशन का 50% 100 वर्ष — मूल कुटुम्ब पेंशन का 100% (5.1.42)	स्वीकार कर ली गई
10.	100% अशक्तता के लिए अशक्तता पेंशन के मामले में जहाँ कोई पेंशनभोगी अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर पूरी तरह आश्रित है, उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन, नियमावली, 1939 के तहत कोई नियत परिचर भत्ता (कॉन्सटेंट अटेन्डेंट भत्ता) उपलब्ध नहीं है । ऐसा नियत परिचर भत्ता रक्षा बलों में उपलब्ध है । सिविल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में भी ऐसा भत्ता दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी समान होगी । तदनुसार, सी.सी.एस.(असाधारण) पेंशन नियमावली,1939 में भी रक्षा बलों में समान प्रकार का मौजूदा नियत परिचर भत्ता शुरु किया जाना चाहिए । (5.1.42)	स्वीकार कर ली गई
11	ड्यूटी के कार्य-निष्पादन के दौरान दुर्घटना – के कारण मृत्यु होने के मामलों में, चाहे वह आतंकवादियों, गैर-सामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसात्मक कृत्यों अथवा अन्यथा कारणों से हो, अनुग्रह राशि की दरों को दुगुना किया जाए और इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा सीमा पर मुठभेड़, सीमा-पदों पर मिलिटेन्टों, आतंकवादियों और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अथवा विशिष्ट उच्च उन्नतांश और दुर्गम सीमांत पदों आदि पर ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, अति उग्र मौसम परिस्थितियों के कारण मृत्यु हो जाने के मामलों में 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाए । (5.1.45)	स्वीकार कर ली गई
12	50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत को दिनांक 1/4/2004 को अथवा बाद में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में	इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई कि पेंशन का निर्धारण

	पेंशन के रूप में तथा अन्य पेंशनभोगियों के संबंध में मंहगाई राहत के रूप में सम्मिलन (मर्जर) के प्रभाव को छोड़कर सभी विगत पेंशनभोगियों को पेंशन के 40 प्रतिशत के समतुल्य स्वास्थ्य-लाभ (फिटमेन्ट बेनीफिट) दिए जाने की अनुमति दी जाए । इस वृद्धि की अनुमति, 50 प्रतिशत मंहगाई राहत/मंहगाई भत्ते को मंहगाई पेंशन /मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करने के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए दी जाएगी । परिणामत: पेंशन पर 74 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत (सम्मिलन के प्रभाव को छोड़कर) को दिनांक 1/1/2006 की स्थिति के अनुसार संशोधित पेंशन की संगणना करने के प्रयोजन से लिया गया है । यह, मौजूदा कर्मचारियों के मामले में अनुमत्य फिटमेंट प्रसुविधा के अनुकूल होगा । पेंशन का निर्धारण, इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि संशोधित पेंशन किसी भी स्थिति में वेतन-बैंड में न्यूनतम वेतन की कुल राशि उस पूर्व संशोधित वेतनमान जिसमें पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के समानांतर ग्रेड वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी (5.1.47)	1.74 के स्थान पर 1.86 के गुणक कारक पर आधारित होगा (अर्थात् 1.1.2006 को मूल पेंशन +मंहगाई वेतन (जहाँ लागू हो) +24 प्रतिशत मंहगाई राहत)
13	कुटुम्ब पेंशन इत्यादि पाने की पात्रता हेतु नामांकन के उद्देश्य से 'कुटुम्ब' शब्द को द्वितीय श्रेणी में उल्लिखित संबंधों की तुलना में तरजीह वाली प्रथम श्रेणी में उल्लिखित संबंधों सहित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है । प्रथम श्रेणी में पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों को सम्मिलित किया गया है । फिर भी, विधवा पुत्रियों को द्वितीय श्रेणी में स्थान दिया गया है । यह विधवा पुत्रियों के प्रति भेदभावमूलक है क्योंकि विशेषत: पुत्रों, चाहे वे विवाहित/अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा हों, को प्रथम श्रेणी में स्थान दिया गया है । कुटुम्ब पेंशन और अन्य संबंधित प्रसुविधाओं हेतु पात्रता के उद्देश्य से, विधवा पुत्रियों को भी प्रथम श्रेणी में स्थान दिया जाना चाहिए । (5.1.53)	स्वीकार कर ली गई
14	किसी दिवंगत सरकारी कर्मचारी की बच्चा-रहित-विधवा को उसके पुनर्विवाह के पश्चात् भी इस शर्त के अध्यधीन कुटुम्ब पेंशन को अदा किया जाना जारी रखा जाना चाहिए कि उसकी स्वतन्त्र आय सभी स्रोतों से केन्द्रीय सरकार में विनिर्धारित न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन के बराबर अथवा उच्चतर हो जाने पर कुटुम्ब पेंशन बंद हो जाएगी। (5.1.55)	स्वीकार कर ली गई

3256 GI/08-2

15	15 वर्ष के बराबर अथवा इससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम की अर्हक सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले केन्द्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को एक बार, एकमुश्त, 80 माह के अन्तिम आहरित वेतन अथवा औसत वेतन के बराबर सेवानिवृत्ति के लाभ, इनमें से जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए अधिक लाभप्रद है दिए जाएं तथा इसमें सेवा उपदान और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान जैसे लाभ, जो सम्मिलित रूप में होगें, शामिल होंगे । (6.2.10)	स्वीकार नहीं की गई

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th August, 2008

No. 38/37/08-P&PW (A).— The terms of reference of the Sixth Central Pay Commission as contained in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Resolution No.5/2/2006-E.III(A) dated 5.10.2006, as amended from time to time, inter-alia included: "to examine the principles which should govern the structure of pension, death-cum-retirement gratuity, family pension and other terminal or recurring benefits having financial implications to the present and former Central Government employees appointed before January 1, 2004". The Commission submitted its Report to the Government on the 24th March, 2008. Government have considered the recommendations of the Commission on pensionary benefits to Central Government Civil employees, including employees of the Union Territories and Members of the All India Services, contained in Chapters 4, 5 and 6 of the Report of the Commission and have decided that the recommendations shall be broadly accepted subject to certain modifications.

2. The revised pension structure will be effective from 1st January, 2006. 40% of the arrears of pension will be paid in cash in the year 2008-09 and the remaining 60% in the year 2009-10.

3. Detailed recommendations of the Commission and the decisions taken thereon by the Government are listed in the statement annexed to this Resolution. The recommendations made by the Commission, which are not included in the Annexure are being examined by the Government and decisions thereon will be taken as early as possible.

4. Government of India wish to express their deep appreciation of the work done by the Commission in dealing with the various complicated issues involved and presenting a valuable Report.

RAJNI RAZDAN, Secy. (Pension & Pensioners' Welfare and AR & PG)

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to principles which should govern the structure of pension and other terminal benefits – contained in Chapter 4, 5 and 6 of the Report and decisions of Government thereon.

S. No	Recommendation	Decision of Government
1	Older pensioners require a better deal because their needs, especially those relating to health, increase with age. Quantum of pension available to the old pensioners should be increased as follows:- On attaining age of - Additional quantum of pension 80 years - 20% of basic pension 85 years - 30% of basic pension 90 years - 40% of basic pension 95 years - 50% of basic pension 100 years - 100% of basic pension (5.1.32)	Accepted
2	Linkage of full pension with 33 years of qualifying service should be dispensed with. Once an employee renders the minimum pensionable service of 20 years, pension should be paid at 50% of the average emoluments received during the past 10 months or the pay last drawn, whichever is more beneficial to the retiring employee. Simultaneously, the extant benefit of adding years of qualifying service for purposes of computing pension/related benefits should be withdrawn as it would no longer be relevant. (5.1.33)	Accepted.
3	The recommendation regarding payment of full pension on completion of 20 years of qualifying service will take effect only prospectively for all Government employees other than PBORs in Defence Forces from the date it is accepted by the Government. (6.5.3)	Accepted.
4	All future cases of commutation of pension should be considered as per the revised commutation table annexed to the Report which may be revised periodically by the Government keeping in view the interest rates and the mortality table. (5.1.35)	Accepted.
5	The revised commutation table will only be used for all future commutations and will not be applied for the past commutations in respect of post 31.12.2005 pensioners who have already commuted their pension, the revised commutation table shall be used only to compute the amount of pension that has become additionally commutable on account of retrospective implementation of the revised pay scales, in case such an option is exercised by the retiree. For all future pensioners, the commutation of pension shall be computed and paid as per the revised commutation table. (6.5.3)	Accepted

3256 GI/08-3

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

6	The maximum pecuniary limit of Rs.3.5 lakh on payment of gratuity should be raised to Rs.10 lakh. (5.1.37)	Accepted
7	In case of Government employees dying in harness, family pension may be paid at enhanced rates for a period of 10 years. (5.1.42)	Accepted
8	The dependency criteria for all purposes should be the minimum family pension along with dearness relief thereon. This should also be followed in cases relating to payment of family pension as well. (5.1.42)	Accepted
9	In accordance with recommendations for paying higher quantum of pension to very old pensioners, quantum of family pension payable to similarly old family pensioners would also need to be increased. Quantum of pension available to the family pensioners should also be increased on par with that recommended for pensioners as under:- On attaining age of — Additional quantum of family pension 80 years - 20% of basic family pension 85 years - 30% of basic family pension 90 years - 40% of basic family pension 95 years - 50% of basic family pension 100 years- 100% of basic family pension (5.1.42)	Accepted
10	In the case of disability pension, for 100% disability where the individual is completely dependent on somebody else for day to day functions, no Constant Attendant Allowance is available under the CCS (Extraordinary) Pension Rules, 1939. Such Constant Attendant Allowance is available in the Defence Forces. A similar allowance needs to be extended in respect of civilian retirees as well because their requirement would be similar. Accordingly, a constant attendant allowance should be introduced, on the lines existing in Defence Forces under the CCS (Extraordinary) Pension Rules, 1939 as well. (5.1.42)	Accepted
11	The rates of exgratia may be doubled and raised to Rs.10 lakhs in cases of death occurring due to accidents in the course of performance of duty whether attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements etc. or otherwise and to Rs.15 lakhs in cases of death occurring due to enemy action in international war or border skirmishes or action against militants, terrorists, extremists in the border posts, or on account of natural disasters, extreme weather conditions while on duty in the specified high altitude, inaccessible border posts, etc. (5.1.45)	Accepted
12	All past pensioners should be allowed fitment benefit equal to 40% of the pension excluding the effect of merger of 50% dearness allowance/ dearness relief as pension (in respect of pensioners retiring on or after 1/4/2004) and dearness pension (for other pensioners) respectively. The increase will be allowed by subsuming the effect of conversion of 50% of dearness relief/ dearness allowance as dearness pension/dearness pay. Consequently, dearness relief	Accepted with the modification that fixation of pension shall be based on a multiplication factor of 1.86, i.e. basic pension + Dearness Pension (wherever applicable) + dearness relief of 24% as on 1.1.2006, instead of 1.74.

	at the rate of 74% on pension (excluding the effect of merger) has been taken for the purposes of computing revised pension as on 1/1/2006. This is consistent with the fitment benefit being allowed in case of the existing employees. The fixation of pension will be subject to the provision that the revised pension, in no case, shall be lower than fifty percent of the sum of the minimum of the pay in the pay band and the grade pay thereon corresponding to the pre-revised pay scale from which the pensioner had retired. (5.1.47)	
13	For purposes of nomination for eligibility to get family pension etc., the term 'Family' is divided into two categories with the relations mentioned in first category having precedence over relations mentioned in the second category. The first category includes sons and unmarried daughters. However, widowed daughters have been placed in the second category. This is discriminatory towards the widowed daughters especially as sons, whether married/ unmarried/ widowers/divorced have been placed in the first category. For purposes of eligibility for Family Pension and other related benefits, the widowed daughters should also be placed in the first category. (5.1.53)	Accepted
14	The childless widow of a deceased Government employee should continue to be paid family pension even after her remarriage subject to the condition that the family pension shall cease once her independent income from all sources becomes equal to or higher than the minimum prescribed family pension in the Central Government. (5.1.55)	Accepted
15	All Central Government employees seeking voluntary retirement on completion of qualifying service equal to or more than 15 years but less than 20 years should be paid one time, lump-sum, retirement benefit equal to 80 months' salary last drawn or average salary, whichever is more beneficial to the retiring employee inclusive of benefits like service gratuity and death-cum- retirement gratuity that shall stand subsumed. (6.2.10)	Not accepted

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php